संख्या:294/2016/1161/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 05 अगस्त,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाँदा में शासनादेश संख्या:2187(1)/35-4-2005 दिनाँक 15 दिसम्बर,2005 द्वारा कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं के 50 चैम्बर्स निर्माण कार्य की रू. 46.15 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त स्वीकृत 50 चैम्बर्स में से 26 चैम्बर्स का कार्य पूर्ण हुआ और 24 चैम्बर्स का कार्य अपूर्ण है। एतदद्वारा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु, कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 69.14 लाख की लागत पर पुनरीक्षित करने एवं पूर्व में अवमुक्त रू. 46.15 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि रू. 22.99 लाख (रूपये बाईस लाख निन्यान्वे हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनाँक 15 दिसम्बर,2005 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी और आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि रू. 22.99 लाख के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी तथा जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिये कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिये स्थायी ढ़ाँचे के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:294/2016/1161(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/न्याय विभाग।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6-जनपद न्यायाधीश, बाँदा।
7-मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम।
8-मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा।
9-प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।
9-कोषाधिकारी, बाँदा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in